केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

शाखा: पिलखुवा, सर्वोदय नगर
ई-मेल: cb6084@canarabank.com

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति के लिए) नियम 13(4) के तहत

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अंतर्गत केनरा बैंक, पिलखुवा, सर्वोदय नगर शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13.03.2026 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें अंजू पत्नी सतपाल, न्यू शिवाजी नगर, पिलखुवा देहात पिलखुवा डाकघर उ.प्र. 245304, करुन उपाध्याय पुत्र सतपाल सिंह, 338, मोहल्ला न्यू शिवाजी नगर, पिलखुवा हापुड उ.प्र. को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर धनराशि रू.- 30,22,056.72 (रूपये तीस लाख बाईस हजार छप्पन और बहत्तर पैसा केवल), (खाता नं. 164095643375, 160003671806) तथा ब्याज व अन्य खर्चा आदि को अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी/गारण्टर/सम्पत्ति के मालिक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14 मई 2026 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी/गारण्टर/सम्पत्ति के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी सौदा रूपये की राशि के लिए केनरा बैंक, पिलखुवा, सर्वोदय नगर, शाखा के प्रभार धनराशि रू.- 30,69,205.72 (रूपये तीस लाख उनहत्तर हजार दो सौ पांच और बहत्तर पैसा केवल) दिनांक 13.05.2026 तक तथा ब्याज व अन्य खर्चा आदि को अदा करने को कहा गया था।

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

एक आवासीय मकान प्लॉट नं. 54, क्षेत्रफल 100 वर्ग यार्डस (83.64 वर्ग मीटर) खसरा नं. 227, साई धाम एन्क्लेव, राजस्व ग्राम नवादा (साई धाम एन्क्लेव), बुलंदशहर रोड, जिला हापुड, मालिक कठन उपाध्याय पुत्र सतपाल सिंह, चौहद्दी: उत्तर: प्लॉट नं. 55, भुजा 45 फीट, दक्षिण: प्लॉट नं. 53, भुजा 45 फीट, पूर्व: 20 फीट चौड़ा रोड़, पश्चिम: प्लॉट नं. 61, भुजा 20 फीट **Cersai ID: 400094398513.**

दिनांक: 14.05.2026 स्थान: पिलखुवा प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

सेलेक्ट सिटी वॉक शाखा: 181-ए, खिड़की एक्सटेंशन, प्रेस एन्क्लेव रोड, साकेत, नई दिल्ली-110017
फोन: 011-29541601;
ई-मेल: malviy@bankofbaroda.co.in

कब्जा सूचना
नियम 8(1) के अंतर्गत अचल संपत्ति के लिए.

जबकि,

बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) के तहत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **16-02-2026** को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें **उधारकर्ता और गारंटर श्री प्रियांशु व्यास और श्री आशीष शर्मा** को नोटिस में उल्लिखित **राशि 23,30,616.64 रुपये (केवल तेईस लाख तीस हजार छह सौ सोलह और चौंसठ पैसे)** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

चूंकि उधारकर्ता उक्त राशि को चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 और उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **दिनांक 12 मई 2026** को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदारों को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन **बैंक ऑफ बड़ौदा, सेलेक्ट सिटी वॉक शाखा: 181-ए, खिड़की एक्सटेंशन, प्रेस एन्क्लेव रोड, साकेत, नई दिल्ली-110017 के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि 23,30,616.64 रुपये (तेईस लाख तीस हजार छह सौ सोलह और चौंसठ पैसे मात्र) है और उस पर ब्याज और व्यय भी देय होंगे।**

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उस प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है जो गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित है।

गिरवी रखी गई अचल संपत्ति का विवरण

अपार्टमेंट नंबर 8010, 8वीं मंजिल, सुपर एरिया 116.13 वर्ग मीटर और कवर्ड एरिया लगभग 92.90 वर्ग मीटर, टावर पार्कव्यू, बहुमंजिला इमारत "प्रतीक द रॉयल विलफ", प्लॉट नंबर 8, "क्रॉसिंग रिपब्लिक TM, गांव दुंडाहेरा, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) | CERSAI एसेट्स आईडी: 200013071644

दिनांक: 12.05.2026 अधिकृत अधिकारी,
स्थान: गाजियाबाद बैंक ऑफ बड़ौदा

यूनियन बैंक Union Bank of India

आस्ति वसूली शाखा, 603बी, 8वीं मंजिल, टॉवर-बी, कनेक्टस टॉवर, भवभूति मार्ग, नई दिल्ली-110001
ईमेल: ubin0554723@unionbankofindia.bank.in

परिशिष्ट IV
[नियम - 8 (1)]
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूँकि,

अधोहस्ताक्षरी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, **एआरबी शाखा स्थत: 603B, कनेक्टस टॉवर, भवभूति मार्ग, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, नई दिल्ली-110001 (भारत)**, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एक मांग नोटिस जारी किया गया था ,जिसमें **कर्जदार मैसर्स एस के एयर कंडीशनिंग सेंटर, कार्यालय: 675/28, ज्योति पार्क, गुड़गांव और 479/6, 480/6, जैकबपुरा, गुरु रविदास मंदिर के सामने, गुड़गांव** को उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

बैंक का नाम	SARFAESI अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तिथि	13(2) नोटिस में उल्लिखित राशि (राशि रु. में)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	12.02.2026	रू. 42,23,002.40 (बयालीस लाख तेईस हजार दो रुपये और चालीस पैसे मात्र) दिनांक 31.12.2025 को देय राशि, साथ ही इस पर लगने वाला अतिरिक्त ब्याज और प्रभार
कुल		रू. 42,23,002.40

उधारकर्ता/गारंटरों द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/गारंटरों तथा आम जनता को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, **दिनांक 13 मई, 2026** को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता/गारंटरों और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एआरबी) शाखा, 603बी, कनेक्टस टावर, भवभूति मार्ग, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, नई दिल्ली -110001 द्वारा **31.12.2025 को 42.23 लाख रुपये** और उस पर ब्याज सहित प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

दुकान संख्या 5 का ईएमजी, जिसका क्षेत्रफल 10 वर्ग गज है और जो खसरा संख्या 4640/1524/148 और 4639/1524/148/2 के अंतर्गत आता है, अब अर्जुन नगर नई आबादी हिदायतपुर छावना (अर्जुन नगर श्मशान घाट के पास) नामक एक आवासीय कॉलोनी है, जो राजस्व क्षेत्र और नगर निगम सीमा, गुड़गांव के अंतर्गत है और श्री संजय कुमार पुत्र श्री मुरारी लाल के स्वामित्व में है।

दिनांक: 13.05.2026 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : गुड़गांव यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सार्वजनिक उद्घोषणा
(दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016की धारा 102 के तहत)

श्री अजय कुमार जैन, मेसर्स प्रिमस मेट्रोल लिमिटेड (पूर्व में राज रतन स्मेल्टर लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) के कॉर्पोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, इलाहाबाद बेंच ने धारा 95 के तहत अपने आदेश सीपी (आईबी) संख्या 65/एएलडी/2024 के माध्यम से श्री अजय कुमार जैन ,जिनका आवासीय पता मकान संख्या 128/09,किदवई नगर, कानपुर -208011, उत्तर प्रदेश है, के विरुद्ध दिवालियापन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिनांक 06.05.2026 को दिया (आदेश दिनांक 13.05.2026 को प्राप्त हुआ) ।

श्री अजय कुमार जैन के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावों को प्रमाण सहित 03.06.2026 (13.05.2026 से 21 दिन) तक या उससे पहले प्रविष्टि संख्या 7 में उल्लिखित पत्राचार पते पर समाधान पेशेवर को प्रस्तुत करें।

लेनदार अपने दावे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से,कूरियर द्वारा,स्पीड पोस्ट द्वारा,पंजीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं।

व्यक्तिगत गारंटर का विवरण		
1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्री अजय कुमार जैन
2.	व्यक्तिगत गारंटर का आवासीय पता	मकान संख्या 128/09,किदवई नगर, कानपुर -208011, उत्तर प्रदेश
3.	दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभिक तिथि	आदेश दिनांक 06.05.2026 को दिया (आदेश दिनांक 13.05.2026 को प्राप्त हुआ) ।
4.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	03.06.2026 (13.05.2026 से 21 दिन)
संकल्प पेशेवर का विवरण		
5.	संकल्प पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री वीरेंद्र मौर्य आईबीबीआई पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P-02627/2021-2022/14022
6.	बोर्ड के साथ पंजीकृत संकल्प पेशेवर का पता और ई-मेल	पंजीकृत पता: ई 1/145, बर्रा -8, कानपुर 208027, उत्तर प्रदेश ईमेल:virendramaurya.ip@gmail.com
7.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	28, सेक्टर 8सी,वृंदावन कॉलोनी, तेलीबाग,लखनऊ-226029, उत्तर प्रदेश ईमेल: pginsolvency.pml@gmail.com
8.	संबंधित प्रपत्र निम्न पते पर उपलब्ध हैं:	(ए) भारतीय दिवालियापन एवं दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7(1) के अंतर्गत प्रपत्र बी ,(बी) वेबलिंक : https://ibbi.gov.in/home/downloads

कृपया ध्यान दें कि दावे के संबंध में कोई भी झूठा या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दिवालियापन एवं दिवालियापन संहिता, 2016 ("संहिता") तथा अन्य लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, संहिता की धारा 101 के अनुसार, तत्काल प्रभाव से एक स्थगन लागू किया गया है, जो दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहेगा। धारा 101(2) के अनुसार, स्थगन अवधि के दौरान, किसी भी ऋण के संबंध में लंबित कोई भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही स्थगित मानी जाएगी, और कोई भी लेनदार किसी भी ऋण के संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही शुरू नहीं करेगा।

आपसे अनुरोध है कि इसका ध्यान रखें और यदि कोई दावा हो तो उसे 03.06.2026 से पहले दाखिल करें।

वीरेंद्र मौर्य
समाधान पेशेवर
आईबीबीआई पंजीकरण संख्या :
IBBI/IPA-001/IP-P-02627/2021-2022/14022
एएफए 30.06.2026 तक वैध

स्थान: कानपुर
दिनांक: 15-05-2026

अल्केमिस्ट एसेट रीकंस्ट्रक्शन कॉम्पनी लिमिटेड

सीआईएन नं. U74999DL2002PLC117052
ए-270, पहली और दूसरी मंजिल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली - 110 024, भारत
ईमेल: admin@alchemistarc.com, वेबसाइट: www.alchemistarc.com

सार्वजनिक सूचना

(वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत)

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अल्केमिस्ट एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार / आर्क), ने 30-09-2025 के ऋण असाइनमेंट के तहत एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड से नीचे उल्लिखित ऋण खातों का अधिग्रहण किया है, और संबंधित उधारकर्ता(ओं) को सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस(ओं) को जारी किया है सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) से अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त नोटिस(ओं) की प्राप्ति की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर सुरक्षित ऋणदाता के प्रति अपनी देनदारियों का पूर्ण निर्वहन करें। निर्धारित अवधि के भीतर उक्त बकाया राशि चुकाने में विफलता की स्थिति में, सुरक्षित ऋणदाता बिना किसी अतिरिक्त सूचना के, सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा लेने सहित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा।

उधारकर्ताओं/खातों का विवरण

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) का नाम	देय राशि रु.	13(2) नोटिस की तिथि	सुरक्षित आस्ति का विवरण	देय तिथि
1	PR00918193 & PR00936570 & PR01206973	पालक व्यापारी (उधारकर्ता) देवेंद्र कुमार (सह-उधारकर्ता) प्रेमवती (सह-उधारकर्ता)	14,24,170	27 अप्रैल 2026	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि आवासीय प्लॉट का क्षेत्रफल 89.78 वर्ग मीटर जो गाटा संख्या 38 का हिस्सा पकड़िया नौगवां चक बहार चुंगी, तहसील और जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश - 262001, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व - श्रीमती पुष्पलता का खेत, पश्चिम - रास्ता, उत्तर - श्रीमती पुष्पलता का खेत, दक्षिण - श्रीमती पुष्पलता का प्लॉट	24 दिसम्बर 2025
2	PR01335835	अवदेश कुमार (उधारकर्ता) उमेश कुमार (सह-उधारकर्ता) नीरज देवी (सह-उधारकर्ता) शीतल कुमारी (सह-उधारकर्ता)	8,46,342	10 अप्रैल 2026	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 98.48 वर्ग मीटर जो खसरा संख्या 69 और 69बी का एक अभिन्न अंग है, गाँव रामपुर, तहसील - सासनी, जिला - हाथरस सीमाएँ: पूर्व - संजीव की भूमि, पश्चिम - विनोद कुमारी का मकान, उत्तर - 10 फुट चौड़ा रास्ता, दक्षिण - संजीव की भूमि	30 सितम्बर 2025

ऊपर उल्लिखित राशि प्रत्येक खाते के सामने दर्शाई गई संबंधित तिथियों के अनुसार देय साथ ही वसूली की तारीख तक आगे ब्याज, दंडात्मक शुल्क, लागत और व्यय के साथ।

उधारकर्ता/गारंटर (ओं) को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) के बिक्री, पट्टे, बंधक, प्रभार या अन्यथा के माध्यम से सौदा या निपटान न करें।

यह प्रकाशन उधारकर्ता (ओं), गारंटर (ओं) और आम जनता की जानकारी के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुपालन में किया जाता है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया निम्नलिखित संपर्क विवरण पर अधोहस्ताक्षरी फोन: 011-46562584 ईमेल: admin@alchemistarc.com, ashutosh@alchemistarc.com से संपर्क करें।

दिनांक:- 15.05.2026 एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान:- उत्तर प्रदेश अल्केमिस्ट एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
(अल्केमिस्ट XLVII ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) सुरक्षित ऋणदाता

Powered by INFRA.MARKET | SHALIMAR PAINTS SINCE 1902

शालीमार पेंट्स लिमिटेड

सीआईएन : L24222HR1902PLC065611
पंजीकृत कार्यालय : स्टेनलेस सेंटर, चौथी मंजिल, प्लॉट नंबर 50, सेक्टर 32, गुरुग्राम, हरियाणा 122001
कॉर्पोरेट कार्यालय: ओलेथिया बिजनेस स्पेसेज, प्लॉट नंबर ।184 और ।185, रोड नंबर 16, आशर आईटी पार्क के सामने, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठाणे, महाराष्ट्र 400604
ईमेल: askus@shalimarpaints.com, **वेबसाइट:** www.shalimarpaints.com] **टोल फ्री:** 1800 103 6509

डाक मतपत्र सूचना और दूरस्थ ई-मतदान जानकारी

एतद्द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (**"अधिनियम"**) की धारा 108, 110 और अन्य सभी लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (**"नियम"**), दिनांक 22 सितंबर, 2025 के सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (**"एमसीए"**) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य प्रासंगिक परिपत्रों (**"एमसीए परिपत्र"**), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानक - 2 (**"एसएस-2"**), एसईबीआई (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (**"एसईबीआई सूचीकरण विनियम"**) और अन्य लागू कानूनों और विनियमों (जिसमें समय-समय पर लागू कोई भी वैधानिक संशोधन और/या पुनर्अधिनियमन शामिल है) के अनुसार, कंपनी ने गुरुवार, 14 मई, 2026 को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाक मतपत्र सूचना का प्रेषण पूरा कर लिया है। वे सदस्य जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में शुक्रवार, 8 मई, 2026 तक दर्ज हैं, निम्नलिखित मामले के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाक मतपत्र द्वारा कंपनी के शेयरधारकों की स्वीकृति चाहते हैं:

प्रस्ताव का प्रकार	प्रस्ताव
विशेष	श्री अतुल रसिकलाल देसाई (डीन: 01918187) की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में तीन वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति
सामान्य	श्री अभिजीत झावर (डीन: 11536278) की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति

कंपनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की सेवाएँ ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया, पोस्टल बैलेट नोटिस के एक भाग के रूप में दी गई है।

रिमोट ई-वोटिंग का कार्यक्रम:

रिमोट ई-वोटिंग की पात्रता के लिए कट-ऑफ तिथि	शुक्रवार, 08 मई, 2026
रिमोट ई-वोटिंग अवधि का प्रारंभ	सुबह 09:00 बजे आईएसटी, शुक्रवार, 15 मई, 2026
रिमोट ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति	शाम 05:00 बजे आईएसटी, शनिवार, 13 जून, 2026

कृपया ध्यान दें कि सदस्यों की सहमति या असहमति की सूचना केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ही दी जाएगी। सदस्यों के वोट देने के अधिकार, कट-ऑफ तिथि तक कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल में उनके द्वारा रखे गए शेयरों के अनुपात में होंगे।

जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से ही समझे। किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डालने के बाद, सदस्यों को बाद में उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 13 जून, 2026 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) के बाद मान्य नहीं होगी, और उसके बाद सीडीएलएस द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

कंपनी के निदेशक मंडल ने डाक मतपत्र द्वारा ई-मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मेसर्स एमएकेएस एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज (एफआरएन पी2018यूपी067700) के पार्टनर श्री अंकुश अग्रवाल (सीओपी नंबर 14486) को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है।

डाक मतपत्र की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.shalimarpaints.com, सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com और उन स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, जैसे कि बीएसई लिमिटेड ('बीएसई ') www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) www.nseindia.com

जिन शेयरधारकों के शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं और जिन्होंने अपना ईमेल या केवाईसी विवरण अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में विवरण पंजीकृत/अपडेट करें। जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक रूप में हैं और जिन्होंने अपना ईमेल या केवाईसी विवरण अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, बीतल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 में उक्त विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।

दूरस्थ ई-मतदान से संबंधित जानकारी के लिए, कृपया डाक मतपत्र सूचना देखें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, शेयरधारक www.evotingindia.com पर सहायता अनुभाग में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (ए.फे) और ई-मतदान मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting/cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं।

स्क्रूटिनाइजर, ई-वोटिंग की जाँच पूरी होने के बाद, अपनी रिपोर्ट चेयरमैन या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किसी भी व्यक्ति को सौंप देगाय और ई-वोटिंग समाप्त होने के 2 (दो) कार्य दिवसों के भीतर परिणाम घोषित कर दिए जाएँगे। इस प्रकार घोषित परिणाम, स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट (यानी www.shalimarpaints.com) और सीडीएसएल (यानी www.evotingindia.com) पर डाल दिए जाएँगे और साथ ही उन स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेज दिए जाएँगे जिन पर कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं (यानी BSE Limited और National Stock Exchange of India Limited)।

बोर्ड के आदेशानुसार,
शालीमार पेंट्स लिमिटेड के लिए,
हस्ताक्षरित/-
स्नेहल सबू,
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी,
सदस्यता संख्या: ए49811

स्थान: मुंबई,
दिनांक: 14 मई, 2026

ICICI Home Finance | **कॉर्पोरेट कार्यालय:** आईसीआईसीआई होम फाइनेंस लिमिटेड, आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 059, भारत
शाखा कार्यालय: 302, 303, 304, तृतीय तल, एल्डेको कॉरपोरेट चौंबर III, टीसी 58वी, विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010

(नियम 8(6) के प्रावधान देखें) अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस।

एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को बंधक/ भारित है, जिसका कब्जा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, "जहां है जैसा है", "जो है जैसा है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा, जैसा कि नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण में बताया गया है;

क्र. सं.	उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों/कानूनी उत्तराधिकारियों का नाम, ऋण खाता संख्या	ज्ञात भार सहित सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / बयाना राशि जमा	संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय	नीलामी की तिथि और समय	नीलामी तिथि से एक दिन पहले	सरफेसी चरण
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई) / (एफ)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)
1.	सोलराइज सोलर सॉल्यूशंस एलएलपी (ऋणकर्ता) पूजा बालकृष्ण साल्वी (सह-ऋणकर्ता) अमित सिंह (सह-ऋणकर्ता) ऋण संख्या LHLUC00001451029	प्लॉट संख्या एबी 01, दुकान संख्या 1, 2, 3 और 4, भूतल, फेज-2, (जीएमसी) टावर, आवास विकास अवधपुरी, योजना, जिला अयोध्या में स्थित सम्पत्ति का संपूर्ण भाग एवं अंश । माप	रु.2,20,30,796/- 08 मई,2026	रु. 3,03,75,000/- / रु. 30,37,500/-	26 मई, 2026 11.00 पूर्वाह्न -3.00 अपराह्न	02 जून 2026 02.00 अपराह्न -03.00 अपराह्न	01 जून , 2026 को -3.00 अपराह्न से पहले	सांकेतिक कब्जा

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी वैल्यू ट्रस्ट कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (**URL Link- https://BidDeal.in**) पर आयोजित की जाएगी। बंधकर्ताओं/नोटिस को 01 जून, 2026 को शाम 5 बजे से पहले अतिरिक्त ब्याज सहित कुल बकाया राशि का भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है अन्यथा इन सुरक्षित परिसंपत्तियों को उपरोक्त अनुसूची के अनुसार बेचा जाएगा।

भावी बोलीदाता(ओं)को बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, लेख के शीर्ष पर उल्लिखित शाखा कार्यालय का पता में 01 जून, 2026 को शाम 4 बजे या उससे पहले जमा करना होगा। भावी बोलीदाता(ओं) को पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम व शर्तों के फॉर्म की हस्ताक्षरित प्रति भी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, लेख के शीर्ष पर उल्लिखित शाखा कार्यालय का पता में 01 जून, 2026 को शाम 5 बजे या उससे पहले जमा करनी होगी। बयाना जमा राशि डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से "आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी" के पक्ष में एवं लेख के शीर्ष पर उल्लिखित शाखा कार्यालय में देय होना चाहिए। निरीक्षण, नीलामी की शर्तों और नियमों या निविदाओं के प्रस्तुतीकरण के संबंध में किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300 पर संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई और कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया **https://www.icicihfc.com/** पर जाएं।

दिनांक: 15 मई 2026 **प्राधिकृत अधिकारी, "आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड"**
स्थान: अयोध्या **सीआईएन सख्या : U65922MH1999PLC120106**

MUTHOOT FINCORP LTD. | सोने की नीलामी सुचना

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427.

सभी सबंधित व्यक्तियों की सुचना के लिए एततद्वारा सुचना दी जाती है की up to 30.06.2025 & All other 6 months tenure gold loans up to 30.09.2025 and EMI gold loans due up to 31.03.2026.Also those gold loans where interest is due and not paid up to 31.03.2026 are also included in this auction. गिरवी रखे सोने के गहने जिन्हे छुड़ाने का समय बीत चुका हे तथा जिन्हे बार -बार सुचना दिए जाने पर भी अब तक छुड़ाए नहीं गया है उनकी नीलामी 18.06.2026 को 10.00 ब